न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

राजस्व वाद संख्या : 06/14 (वाद)
GCMS No. : 2014/00518

श्री धर्मराज जी महाराज (देवरापाल वाला) स्थान श्री नान्दवेल तह. मावली के प्रतिनिधी एवं प्रबन्धक समस्त ग्राम वासियान नान्दवेल के प्रतिनिधी सर्व श्री

1. श्री रूपलाल पिता कना डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता भेरूलाल डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. श्री सोहनलाल पिता भंवरलाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
4. श्री मांगीलाल पिता हीरालाल सुथार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
5. श्री कसुडा पिता केरा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली ड्रोप किया गया।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री हामा पिता कसना डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली। **मृतक**

1/1 श्रीमती नोजीबाई बेवा हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/2 श्रीमती प्यारेलाल पिता हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/3 श्रीमती भूरीबाई पुत्री हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/4 श्रीमती तुलसीबाई पुत्री हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

2. श्री फतेहलाल पिता देवा डांगी निवासी धाबाई का कुआ तह. गिर्वा। **मृतक**

2/1 श्रीमती पन्नाबाई बेवा फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/2 श्री रामलाल पिता फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/3 श्री धनराज पिता फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/4 श्रीमती भंवरीबाई पुत्री फत[illegible] डांगी निवासी उदयपुर तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2/5 श्रीमती नारीबाई पुत्री फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. मावली।

3. श्री मोती पिता मेगा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रमेश चन्द्र बडाला, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 20.11.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्दवेल तह. मावली में आराजी साबिक खसरा नम्बर 1053 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल पैमाइश खसरा न. 1388 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1389 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1390 रकबा 4 बिस्वा किता 3 रकबा 6 बीघा स्थित हैं ये आराजीयात कई सालो पूर्व श्री किशनजी पिता भेरू लाल जी गुजर निवासी उदयपुर (भूतपूर्व जागीरदार देह) द्वारा स्थानीय देवरा धर्मराज जी महाराज (देवरा पालवाला) के सेवा पूजा हेतु भेट की हुई होने से यह जमीन डोली के नाम से विख्यात है जो इस देवरा के स्थान की ही खातेदारी की साबिक पैमायस के समय से चली आ रही है और इस देवरे की सेवा पूजा प्रतिवादी सं. 3 द्वारा हम ग्रामवासियों की देख रेख में करते आने से प्रतिवादी संख्या 3 इन भूमियों को काश्तकार उपभोग उपयोग करता आया है और उसके एवज में देवरे की सेवा पूजा करता चला आ रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का इस भूमियों पर कोई हक दखल अधिकार नहीं है किन्तु मौजूदा सेटलमेन्ट के पूर्व व उसके दौरान उसके मृतक पिता जो भी हम ही की तरह इस देवरे का एक प्रबन्धक था ने हम ग्राम निवासियों की बिना जानकारी व अदम मौजूदगी में एक पक्षीय सेटलमेन्ट विभाग में प्रार्थना पत्र देकर उक्त भूमियों की खातेदारी वादी देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से हटवा कर उस स्थान पर अपना नाम अंकित करा दिया चूंकि राज्य सरकार के इस प्रकार के कई आदेश जारी हो चुके है कि इस प्रकार देवरे मंदिरों आदि से सम्बन्धित भूमियां जहां की उनके नाम से हटाई जाकर देवरे देवस्थान आदि के नाम खातेदारी कर दी जाय अतः हम वादीगण भी यह भूमिया वादी स्थान देवरा धर्मराज पालवाला नान्दवेल की खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी हैं।

3. यह कि उक्त भूमियां जो इस देवरे की डोली है प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पिता के नाम व उसके मरने बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत अंकित हो जाने से उसकी नियत फितूर एवं स्वार्थ पैदा हो गया है और उसने इन आराजीयात में से आराजी नम्बर 1388 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का दिनांक 15.12.86 ई. को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र लिख रजिस्ट्री करा दिया है जो वादी पक्ष के मुकाबले में प्रभाव शून्य हैं उसकी आड में ये प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 अब प्रतिवादी संख्या 3 जो बहेसीयत पुजारी इन भूमियों की सेवा पूजा के एवज में काश्त कर उपभोग उपयोग करता आया है उससे किन–किन अनाधिकार अतिक्रमण व आधिपत्य करने पर [illegible] इन भूमियों की शक्ल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

चेन्ज कर तथा कनवर्ड कर इनमें तामीर आदि खडी कर हडप लेने की है ताकि वादीगण सेवा पूजा से महरूम हो जाय यदि उन्होने ऐसा कर दिया तो प्रतिवादी संख्या 3 देवरे की सेवा पूजा बन्द कर देगा जो हम ग्रामवासियों को भारी क्षति दायक हो जायेगा। इस देवरे की हम ग्रामवासियों के मन में भारी मान्यता है हम उसे बिना सेवा पूजा नहीं रख सकेगें। इस प्रकार की क्षति का कोई एवजाना नकदी में नही आंकी जा सकेगी। अतः ऐसा न करने देने के लिए विरूद्व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हैं।

4. यह कि बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 16.12.1986 ई. को पैदा हुई जिस रोज कि हमे यह ज्ञात हुवा कि ये भूमियां जो उक्त देवरे सम्बन्धित है प्रतिवादी संख्या 1 ने किये तौर अपने नाम दर्ज करा इसका प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र लिख दिया है और उसी रोज शाम को प्रतिवादी संख्या 2 ने नम्बर 3 को बेदखल करने हेतु ग्राम में आकर चेलेन्ज किया। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 इस मामले में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया हैं।

5. अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर यह घोषित फरमाया जावे कि आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1388, 1389, 1390 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा धर्मराज जी महाराज देवरा पालवाला स्थान नान्दवेल की डोली होकर उनके खातेदारी की और राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से हटाई जाकर वादी पक्ष (देवरा स्थान नान्दवेल धर्मराज जी महाराज) के नाम [illegible] पुजारी दर्ज कराये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

की डिक्री बहक वादी पक्ष विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ये आराजीयात जिन्हे इस देवरे की सेवा पूजा के एवज प्रतिवादी संख्या 3 काश्तकर उपभोग उपयोग करता आया है उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी अतिक्रमण आधिपत्य न स्वयं करे न अन्य परिवार जन परिजन नौकर एजेन्ट आदि से करावे अथवा करने देवे न इन आराजीयात को शक्ल चेन्ज करे। न रहन बैह आदि प्रकार से मुन्तकिल करे।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में आंशिक आराजीयात का मौजा नान्दवेल में स्थित होना स्वीकार है, लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि ये आराजीयात कई सालो पूर्व श्री किशनजी पिता भेरूलाल गुजर निवासी उदयपुर द्वारा स्थानीय देवरा धर्मराज जी महाराज (देवरा पालवाला) के सेवा पूजा हेतु भेंट की हो, बल्कि यह भूमि भेंट नहीं हुई है न कोई भेंट पत्र ही लिखा गया है न यह भूमि कभी डोली की रही है न यह भूमि देवरे की रही है, बल्कि यह भूमि आराजी नम्बर 1053 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का पट्टा 2004 में मुझ प्रतिवादी के पिता किशन पिता जीवाजी डांगी के नाम जारी किया गया तथा किशना पिता जीवा जी डांगी इसके खातेदार काश्तकार थे, इसलिए उनके द्वारा पेमाईस के समय ए.आर.ओ. के समक्ष उजरदारी [illegible] की जिस पर बाद कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

किशनाजी के नाम इन्द्राज करने का आदेश हुआ, लेकिन उसकी तामील नहीं हुई, इसलिए किशनाजी ने रेकार्ड ऑफिसर राजस्थान सरकार, उदयपुर के समक्ष अपील की उसके अपील नम्बर 15/1954 हैं। इस अपील पर बाद सुनवायी तारीख 20.09.54 को किशना पिता जीवाजी डांगी को खडमदार दर्ज करने का आदेश दिया और धर्मराज जी माफी दर्ज की गयी तथा पुजारी मोती को दर्ज करने का आदेश दिया गया आराजी नम्बर 1053 का किशना जी खातेदार काश्तकार था और किशना की मृत्यु बाद प्रतिवादी नम्बर 1 हामा के खातेदारी में दर्ज की गयी है तथा किशना की मृत्यु बाद हामा बहैसियत खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा जमाबन्दी 2028 से प्रतिवादी हामा पिता किशना डांगी खातेदार काश्तकार हैसियत दर्ज है तथा मोती पिता मेघा डांगी का साबिक आराजी नम्बर 1053 हाल आराजी नम्बर 1388, 1389, 1390 पर कभी भी काश्त नहीं की और न ही इस पर कब्जा रहा है तथा इस पर फसले भी प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा बोयी व ली जाती रही है व अभी भी प्रतिवादी नम्बर 3 काबिज है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभावशील होने की तारीख 15.10.1955 को भी प्रतिवादी नम्बर 1 हामा जमाबन्दीय खातेदार काश्तकार अंकित है। अतः धर्मराज देवरा किसी प्रकार से खातेदार काश्तकार नहीं कहा जा सकता हैं।

7. प्रतिवादी नम्बर 1 विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है व राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार दर्ज है जो विधि अनुसार अना प्रतिवादी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

के नाम से हटाकर देवरा धर्मराज पालवाला नान्दवेल के खातेदारी की घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं वादी का कब्जा भी नहीं हैं।

8. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को विवादित भूमि को रहन, बैह, बक्षीस का पूरा हक व अधिकार हैं। प्रतिवादी नम्बर 3 का कोई कब्जा नहीं है न प्रतिवादी नम्बर 3 ने इस पर कभी काश्त की है कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके पिता किशनाजी का ही रहा है। अतः जबरन कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न वादी को कोई क्षतिपूर्ति होने वाली हैं।

9. यह कि वादी को तारीख 16.12.86 या अन्य किसी रोज कोई बिनाय उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 का जब कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने हेतु चेलेन्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। अतः वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं।

10. **अतिरिक्त प्रतिवाद–** यह कि विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा ही नहीं है तो कब्जेयाबी की दाद के अभाव में घोषणा व निषेधाज्ञा की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

11. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया वाद वर्णित भूमियॉ किशन पिता भेरूलाल गुर्जर द्वारा देवरा धर्मराज महाराज की सेवा पुजा हेतु भेंट की गयी और देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से दर्ज रही हैं।

............वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2. आया सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमियों की खातेदारी देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से हटवाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया।

.............वादी

3. आया वर्णित भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हटवाकर देवरा स्थान नान्दवेल धर्मराज जी महाराज के नाम घोषित कराये जाने का वादी अधिकारी है।

........वादी

4. आया मौके पर प्रतिवादी संख्या काबिज है एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा नहीं है तथा कब्जेयाबी की प्रार्थना के अभाव में घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं हैं।

.............प्रतिवादी

5. दादरसी।

12. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र के रूप में पीडब्ल्यू 1 श्री सोहनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री कृष्ण व पीडब्ल्यू 3 श्री नगजीराम के बयान कलमबद्ध कराये। प्रतिवादी द्वारा डीडब्ल्यू 1 स्व. श्री हामा एवं उसके पुत्र श्री प्यारचन्द के बयान कलमबद्ध कराये।

13. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात राजस्व मण्डल का फैसला प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट की नकल प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट के खसरा नकल प्रदर्श 3, सम्वत् 2022 की पैमाईश का मिलान खसरा प्रदर्श 4, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, सम्वत् 2023 - 2026 की जमाबन्दी प्रदर्श 6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत् 2019 से 2022 की जमाबन्दी प्रदर्श 7, अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय की प्रति प्रदर्श 8 पेश की गई है। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज बापी पट्टा प्रदर्श डी 1, प्रतिलिपि नकल का आवेदन प्रदर्श डी 2, सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की नकल दिनांक 01.12.1954 प्रदर्श डी 3, न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर उदयपुर के पत्रावली के निर्णय की प्रति प्रदर्श डी 4, नकल गिरदावरी प्रदर्श डी 5 पेश की गई।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस मय नजीर DNJ 2019 Page 65 एवं भू. प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान के पत्र दिनांक 01.05.1978 एवं 24.05.77 की प्रति पेश कर वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज एवं नजीर RRD 2000 Page 14, RRD 2000 Page 189, RRD 2000 Page 570, RBJ 1995 Page 106, RRD 1987 Page 261 एवं माननीय राजस्व मण्डल उदयपुर के प्रकरण मगना बनाम नृसिंह के निर्णय दिनांक 22.07.2009, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय एसबीसीडब्ल्यू 12146/2013ए 8136/09, 5755/2011, 12409/2013 के निर्णय दिनांक 02.11.2017 एवं माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण हनुमानगढ सरकार बनाम राधाकिशन निर्णय दिनांक 26.07.2018 पेश कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पेश लिखित बहस का अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों एवं दस्तावेजों पर बगौर मनन किया।

16. प्रकरण के अध्ययन से प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

1. आया वाद वर्णित भूमियॉ किशन पिता भेरूलाल गुर्जर द्वारा देवरा धर्मराज महाराज की सेवा पुजा हेतु भेंट की गयी और देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से दर्ज रही हैं।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने समर्थन में आया वर्णित भूमिया किशन पिता भेरूलाल गुर्जर द्वारा देवरा धर्मराज महाराज की सेवा पूजा करने हेतु भेंट की, जो देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से दर्ज रही हैं। उक्त कथनों को साबित कर आने के लिए वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य हेतु 3 गवाह पीडब्ल्यू 1 सोहनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री कृष्ण पिता भेरूलाल धाबाई एवं पीडब्ल्यू 3 के रूप में नगजीराम पिता परथा डांगी को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाए गए साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 राजस्व मण्डल अजमेर के फैसले की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2009 की प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी है प्रदर्श 3 के रूप में सेटलमेन्ट संवत् 2009 का खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 के रूप में संवत् 2022 की पैमाइश का मिलान खसरा प्रदर्श 5 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी की नकल प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2019 से 2022 है प्रदर्श 8 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय की नकल है।

वादी के समर्थन में दिये गये बयानो का अवलोकन व ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिसमें उन्होने बताया कि यह जमीन पहले देवरे के नाम थी जो बाद में हामा पिता किसना के पिता ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलि भगत कर अपने नाम करा ली। प्रदर्श 2 सेटलमेंट डिपार्टमेंट संवत 2009 की प्रमाणित प्रति है जिसमें मोती वल्द मेगा पुजारी धर्मराज जी स्थान देह (पालवाला) के नाम पर भूमि अंकन है दिनांक 01.12.1954 को एसडीओ साहब के आदेश से किशना वल्द जीवा डांगी के नाम खड़म होने का इन्द्राज किया गया। प्रदर्श 3 संवत 2009 का खसरा की प्रमाणित प्रति है जिसमें भी धर्मराज स्थान देह शि.मा. पुजारी के रूप में मोती वल्द मेगा डांगी के नाम अंकन चला आ रहा है यानी कि संवत 2009 से पहले से ही भूमि धर्मराज के स्वामित्व आधिपत्य की रही है प्रदर्श 4 पैमाइश का मिलान खसरा है जिसमें धर्मराज जी स्थान देह (पालवाला) एवं पूजारी मोती डांगी के नाम अंकन है विक्रय पत्र प्रदर्श 5 है जो हामा ने फतहलाल के पक्ष में नुमायशी तौर पर लिखा जो वादी के मुकाबले अवैध एवं शुन्य प्रभावी है। प्रदर्श 6 सवंत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी की नकल जिसमे भी भूमि वादी के नाम भूमि अंकन है इसी प्रकार प्र. 7 जमाबन्दी संवत् 2019 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2020 में भी भूमि वादी के नाम अंकन है इसी प्रकार प्रदर्श 8 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में प्रस्तुत किया गया जिसको स्वीकार किया गया उस निर्णय की नकल है जिसमें प्रतिवादी जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया वह आदेश आज तक प्रभावी है ।

प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी को विरूद्व वादी पारित कराने हेतु निवेदन किया कि वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी भेंट पत्र या लिखतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया । वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–3 पेश हुए जो स्वयं वादी हैं उक्त दोनों गवाहो ने ऐसा कोई दस्तावेजी भेंट पत्र एवं साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया और न ही प्रदर्शित कराया गया हैं, जिसे यह साबित होता हैं कि वादग्रस्त भूमि श्री किशन पुत्र भेरूलाल गुर्जर पूर्व जागीरदार द्वारा देवरा धर्मराज महाराज की भेंट की गई हो ओर देवरा स्थान धर्मराज के खातेदारी नाम रही हो। इसी तरह गवाह पीडब्ल्यू–2 श्री किशनजी गुर्जर पेश हुआ जो नान्दवेल गॉव का पूर्व जागीरदार था जिसने भी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को किसी तरह मदद नही करता हैं, इस तरह तनकी नम्बर 1 को वादीगण साबित कराने मे पूर्णरूप असफल रहे हैं। जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार उक्त भूमि संवत 2009 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्री किशन वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

भेरूलाल धाबाई जा. देह उदयपुर श्री धर्मराज जी स्थान एवं मोती वल्द मेधा डांगी सा देह पुजारी के नाम से दर्ज थी। श्री किशन वल्द भेरूलाल धाबाई निवासी उदयपुर (पूर्व जागीरदार) ने श्री किशना वल्द जीवा डांगी, गोविन्दा वल्द किशना डांगी एवं काना वल्द लाला डांगी को संवत 2004 मे उक्त जमीन के साथ कुल 19 बीधा 6 बीस्वा जमीन (डांग्या वाली बावडी) बतोर नजराना 1001 मदे बिल एवज 412 रूपये 14 आना के बदले प्रतिवादी 1 के पूर्वजों को दी, जिसका बापी पट्टा तत्कालीन जागीरदार श्री किशनजी धाबाई से बही नम्बर 1 मिसल नम्बर 1/2004 से वैशाख विद 13 संवत 2004 को प्राप्त किया। जो प्रदर्श डी–1 हैं।

बापी पट्टे के आधार पर प्रतिवादी के पूर्वज श्री किशना वल्द जीवा डॉगी ने सहायक रिकार्ड आफिसर (ए.आर.ओ.) के समक्ष उजरदाही पेश की गई, जिसको स्वीकार नही करने पर उनके आदेश के विरूद्ध दिनांक 31.05.1954 को एक रूपया चार आना के कोर्ट फीस पर अपील न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण को मिसल नम्बर 15/1954 पर दर्ज किया गया। अज सेटलमेन्ट कार्यालय, उदयपुर राजस्थान सरकार से दिनांक 26.07.1954 को रेस्पोडेन्द श्री मोती पिता मेधा डॉगी निवासी नान्दवेल को जरिये नोटिस अगली तारीख पेशी (20.09.1954)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

की तामील (सुचना) भेजी गई जो दिनांक 06.08.1954 को श्री नोजीराम की उपस्थिति में श्री मोती पिता मेधा डॉगी ने अपनी नीसानी करके ले लिया और तारीख पेशी पर हाजीर होउंगा के साथ प्राप्त किया। न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर द्वारा अपील पर बाद सुनवाई दिनांक 20.09.1954 को प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी किशना वल्द जीवा डॉगी को बापी पट्टे के आधार पर खडमदार दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय के समय श्री मोती पिता मेगा डॉगी (रिस्पोडेन्ट) न्यायालय में उपस्थित थे। इस प्रकार निर्णय की जानकारी वादी मोती पिता मेधा डॉगी (रिस्पोडेन्ट) को थी। उक्त निर्णय की प्रति प्रदर्श डी–2 है। उक्त आदेश की पालना से परचा खतोनी संवत् 2009 सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार डिविजन उदयपुर से राजस्व रिकार्ड मे दिनांक 01.12.1954 को प्रतिवादी के पूर्वज श्री किशना वल्द जीवा डॉगी को खडमदार खातेदार दर्ज हुआ। उसकी सत्यप्रति प्रदर्श डी–3 हैं।

इस प्रकार प्रतिवादी 1 के पूर्वज श्री किशना वल्द जीवाजी डॉगी राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किये। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट प्रभावी होने से धर्मराज की माफी राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित हो गई। श्री किशना जी के बाद हामा पिता किशना डॉगी तमाम राजस्व अभिलेख मे खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इस तरह [illegible] नम्बर 1 वादीगण साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

कराने में पूर्णरूप से असफल रहे हैं। ओर प्रतिवादी 1 वादगस्त भूमि के विधिक दस्तावेज एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर खातेदार काश्तकार बना है।

प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन ने पूर्व निस्तारित न्यायिक दृष्टान्त पेश है। प्रतिवादी अपने कथन के समर्थन मे पूर्व निर्णित नजीरों के दृष्टान्त पेश किया हैं। साथ ही अपने कथन के सर्मथन मे RRD 2000 page 14 Bal Kishan V/s Board of Revenue & ors, S.B Civil Writ Petition No-2930 of 1987, decided on 20th september 1999, RRD 2000 page 189 Kanchan Bai & Ors V/s Board of Revenue & ors , S.B Civil Writ Petition No-666 of 1986, decided on 1st November 1999, RRD 2000 page 570 Shree Lakad Shyam Ji Murti V/s L Rs. of Tolaram & ors, Appeal no 48 to 53/Udaipur of 1999, decided on 26th July 2000, RBJ 1995 page 106 and RRD 1987 page 261 (LB), worth reporting of प्रकरण संख्या अपीडी/टीए/5085/08/उदयपुर व अपीडी/ टीए/5086 / 08/उदयपुर मगना बनाम नृसिंह वगैरा 2008 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के सदस्य ताराचन्द सहारण व आर बी परमार के निर्णय (दिनांक 22/07/2009) के अनुसार राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के समय अर्थात संवत 2012 मे जो खुडमदार होगा वही निरन्तर खातेदार बना रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

इसी निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने SB Civil Writ Petition no. 12146/2013, SB Civil Writ Petition no. 8136/2009, SB Civil Writ Petition no. 5755/2011 & SB Civil Writ Petition no. 12409/2013 के निर्णय माननीय न्यायाधीश निर्मलजीत कोर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02/11/2017 को की थी। इसी प्रकार के निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर की एकल पीठ श्री द्वारका प्रसाद मीणा के यहां निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ एवं निगरानी/ टीए /11235/2001/हनुमानगढ़ सरकार बनाम राधाकिशन व अन्य के निर्णय दिनांक 26.07.2018 अन्तर्गत पेरा 11 मे निम्न निर्णय पारित किया :– हस्तगत मामले में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित आराजी जागीर की भूमि है। ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 की पालना के निर्देश जारी किए गए है।

उक्त परिपत्र में अंकित है कि मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

किसी व्यक्ति के पास पटटेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी बनाये रखने के अधिकार प्रदान किए है। रेकार्ड में उपलब्ध राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के अनुसार धारा 9 की पालना सुनिश्चित करने बाबत निबन्धक राजस्व मण्डल द्वारा राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों को दिनांक 6–7–2010 को पत्र भी जारी किया गया है। इस प्रकरण मे प्रतिवादी 1 के पूर्वज श्री किशना वल्द जीवाजी डॉगी ''खडमदार'' दर्ज थे। एवं श्री धर्मराज जी महाराज की माफी दर्ज थी। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 जब प्रभाव में आया जिसकी धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार माफी अधिग्रहित हो गई एवं माफीदार का स्थान राज्य सरकार ने ले लिया तथा खडमदार स्वतः ही खातेदार हो गये।

कानून माल मेवाड धारा 37 एवं 38 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार खडमदार खातेदार ही होता हैं खडमदार को विरासत से भी हक प्राप्त होता है। रियासतकालीन भू–धारकों (लेण्ड होल्डर) द्धारा मन्दिरों की सेवा पूजा व पूजारियों/सेवायतों के जीवनयापन हेतु मन्दिरों को कृषि भूमियां माफी मे दी गयी। माफी सासनिक एवं खडमदार शब्द के अर्थ समझने के लिए मेवाड मे तत्कालीन प्रचलित लागू अधिनियम/नियमों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

विस्तृत विवरण अपीलीय न्यायालय के प्रकरण संख्या अपीडी/टीए/5085/08/उदयपुर एवं अपीडी/टीए/5086/08 उदयपुर के निर्णय (WR) के पेरा 9 के अनुसार माफी सासनिक एवं खडमदार शब्द के अर्थ समझने के लिए मेवाड में तत्समय प्रचलित एवं लागू अधिनियम/नियमों के अनुसार (अ) कवायद माफी रियासत मेवाड सम्वत् 2001 की दफा 4 (1) में सासनिक माफी वह है जो माफी सहज परवरिश के वास्ते अदा की गई हो ओर ऐसे अतियाय में कोई ऐसी शर्त करार नहीं दी गई हो जिसकी रूपयें से किसी किस्म की मजहबी या दुनियाबी खिदमत अदा करनी लाजमी हो तो ऐसी माफी सासनिक यानी पुन्यार्थ माफी कहलायेगी। (ब) कानून माल मेवाड सम्वत् 2003 की दफा 37 के अनुसार काश्तकार निम्न प्रकार :– (1) खडमदार या बापीदार (2) खातेदार (3) मुस्तकिल शिकमी (4) शिकमी (स) कानून माल मेवाड सम्वत् 2003 की दफा 38 के अनुसार खडमदार या बापीदार काश्तकार उसे कहते है जिसका नाम गांव के खसरे या जमाबन्दी में या जमीन के पट्टे में उसकी जमीन के मुतअल्लिक खडमदार या माफीदार की हैसियत से दर्ज किया गया हो। खडमदार को अपनी खडम की जमीन में निम्न हक होगे :– (1) ऐसी जमीन खडमदारी के जाति कानून या रिवाज के अनुसार उसके वारिसों को विरासत से मिल सकेगी। (2) ऐसी जमीन को बेचने, बख्शीश देने, रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

रखने, वसीयत देने वगैरा के पूरे हक खडमदार को होगें। (3) जहां तक जमीन का लगान बराबर अदा करता रहे जब तक खडमदार काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसार खडमदार को प्राप्त अधिकार विरासत से उसके वारिसों को मिलते है एवं खडमदार को अपनी खडम अधिकार हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार हैं। According to Section 51 of Kanoon Maal Mewar, a person or Shikmi khatedar can claim the right of Khadam over any piece of land by depositing Nazrana and by receving Bapi Patta from the Land Revenue Officer. For the convenience of Section 51, we would like to reproduce it as inder :- कानून माल मेवाड की धारा 51 के अनुसार मुस्तकिल शिकमी खातेदार या कोई दीगर काश्तकार जब नजराना अदा कर जमीन का बापी पट्‌टा माली अफसर मजाज से प्राप्त करे तब उसे खडमदार के हक जमीन पर प्राप्त होगें। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड की यह स्थिति स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति धर्मराज जी माफी की थी एवं प्रतिवादी 1 के पूर्वज राजस्थान भू राजस्व सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पहले सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से खडमदार खातेदार थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

मानननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर श्री बइजलास श्री बलवन्त सिंह मेहता द्वारा अपील संख्या ओ. 52/1987 हामा बनाम श्री धर्मराज जी देवरा पालवाला के निर्णय के पेज नम्बर 3 के दूसरा पेराग्राफ मे स्पष्ट किया कि आराजी मुतवालिया धर्मराजजी महाराज के नाम दर्ज होकर अपीलान्ट हामा खडमदार व मोती पुजारी दर्ज है। वास्तविकता में अपीलान्ट खातेदार काश्तकार दर्ज है और धर्मराज महाराज देवरा माफीदार हैं। जैसा कि सेटलमेन्ट अधिकारी के सन् 1954 के निर्णय से साफ हैं ओर उसके बाद अपीलान्ट हामा खातेदार बना। इस प्रकार प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व खडमदार काश्तकार दर्ज हुआ।

उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रहा और यह तनकी विरूद्व वादी सिद्ध होती है।

2. आया सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमियों की खातेदारी देवरा स्थान धर्मराज जी के नाम से हटवाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। उक्त तथ्य साबित कराने बाबत वादी ने पीडब्ल्यू 1 सोहनलाल पीडब्ल्यू 2 कृष्ण पिता भेरूलाल गुर्जर व पीडब्ल्यू 3 नगजीराम डांगी को न्यायालय में परीक्षित कराया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 8 तक अवलोकन कर अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रमाणित है कि वाद वर्णित विवादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादी सं. 1 ने देवरा स्थान धर्मराज नान्दवेल के नाम से हटवाकर प्रतिवादी सं. 1 ने अपना नाम गलत अंकन कराया है दस्तावेजी साक्ष्य से यह कथन पूर्णतः साबित है माननीय रेकार्ड ऑफिसर उदयपुर द्वारा दिनांक 20.09.1954 को मिसल में पारित निर्णय समरी प्रोसेडिंग थी जिसमें भी वादी को माफी धर्मराज पुजारी को ही बदस्तूर अंकन रखे जाने का आदेश हुआ था हस्तगत वाद से पक्षकारान का राइट निर्धारण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से होना है जिसमें वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह पूर्णतः प्रमाणित रहा है कि सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादी ने रिकार्ड में गलत अंकन करवा लिया है।

प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी विरूद्व वादी निर्णित कराने हेतु निवेदन किया कि वादी की ओर से तनकी नम्बर 2 के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वादी की ओर से मौखिक बयान कराये गये जिसमें गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री सोहनलाल लौहार उपस्थित हुआ, जिसने अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है कि जमीन किशना के खाते थी, किशना जी कमाते थे, किशना जी को मरे 5—25 साल हो गये। यह गवाह यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करता है कि यह सही है कि किशना के खडमदार होने के आदेश की कोई अपील नहीं की गई। जबकि प्रतिवादी सं. 1 डीडब्ल्यू 1 प्यारचन्द ने अपने समर्थन में मौखिक बयान में स्वीकार किया कि सम्वत् 2009 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्री किशन वल्द भेरूलाल धाबाई जा. देह उदयपुर के नाम से दर्ज थी। तत्कालीन जागीरदार श्री किशन वल्द भेरूलाल धाबाई उदयपुर ने श्री किशना वल्द जीवा डांगी, गोविन्दा वल्द किशना डांगी एवं वल्द लाला डांगी को सम्वत् 2004 में उक्त जमीन के साथ कुल किता 10 कुल रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा जमीन (डांग्या वाली बावडी) बतौर नजराना 1001 मदे बिल एवज 412 रूपये 14 आना में बेचान की थी, जिसका बापी पट्टा तत्कालीन जागीरदार श्री किशन जी धाबाई से बही नम्बर 1 मिसल नम्बर 1/2004 से वैशाख विद 13 सवंत 2004 को प्राप्त किया। जो प्रदर्श डी–1 हैं। प्रतिवादी 1 के पिता श्री किशनाजी ने ए.आर.ओ. के समक्ष उजरदाही पेश की गई, जिसको स्वीकार नहीं करने पर उनके आदेश के विरूद्व एक रूपया चार आना के कोर्ट फीस पर अपील न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर राजस्थान सरकार, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण को मिसल नम्बर 15/1954 पर दर्ज किया गया। न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर द्वारा अपील पर बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

सुनवाई दिनांक 20.09.1954 को प्रतिवादी 1 के पूर्वज किशना वल्द जीवा डॉगी को बापी पटटे के आधार पर खडमदार दर्ज करने का आदेश दिया गया उक्त निर्णय की प्रति प्रदर्श डी–2 है। उक्त आदेश की पालना परचा खतोनी संवत् 2009 सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार डिविजन उदयपुर से राजस्व रिकार्ड मे खातेदार किशना वल्द जीवा डॉगी सा. देह दर्ज हुआ। उसकी सत्यप्रति प्रदर्श डी–3 हैं। प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श कराये किसी भी दस्तावेज का वादीगण के द्धारा खण्डन नहीं किया गया। इस तरह तनकी नम्बर 2 भी वादीगण साबित कराने मे पूर्णरूप से असफल रहे तथा प्रतिवादी वादगस्त भूमिके विधिक दस्तावेज एवं न्यायालय के आदेश के आधार पर खातेदार काश्तकार बना हैं।

प्रतिवादी 1 ने अपने कथन के समर्थन मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का (WR) प्रकरण संख्या अपीडी/टीए/5085/08 उदयपुर एवं अपीडी/टीए/5086/08 उदयपुर के दिनांक 22.07.2009 को निस्तारित निर्णय के पेरा नम्बर 10 पेश है :–10 राजस्थान भू–राजस्व सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू हो जाने पर ऐसी भूमि जो मन्दिर मूर्ति के नाम तथा किसी व्यक्ति विशेष के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Si[illegible]
Purfadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

लिखे ''खडमदार'' काश्तकार अंकित हो तो उसका अंकन किस प्रकार से होगा एवं अधिकार क्या होंगे इससे सम्बधित धारा 9 एवं धारा 15 मे वर्णित हैं। अतः यह तनकी वादी अपने पक्ष में निर्णित करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

3. आया वर्णित भूमियां प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हटवाकर देवरा स्थान नान्दवेल धर्मराज जी महाराज के नाम घोषित कराये जाने का वादी अधिकारी है।

तनकी नम्बर 1 व 2 विरूद्ध वादी सिद्ध हो चुकी है अतः अब उक्त भूमि को प्रतिवादी खडमदार काश्तकार होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व यह घोषित होने व बापी पट्टे के आधार पर इसको खडम घोषित किया गया। मंदीर माफी की जमीन के संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज.6/2007214 दिनांक 24.05.2007, प. 3(2)राज.6/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 इत्यादि अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी अधिकार निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये। भूमि जो मंदिर माफी की थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया । इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खडमदार या अन्य किसी के नाम दर्ज है वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे।

उक्त भूमि में प्रतिवादी खडमदार काश्तकार होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बापी पट्टे के आधार पर न्यायालय रिकार्ड आफिसर द्वारा अपील पर बाद सुनवाई 20.09.1954 को प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी किशना वल्द जीवा डांगी को बापी पट्टे के आधार पर खडमदार दर्ज करने के आदेश दिये गये। अतः तनकी 1 व 2 वादी के विरूद्व सिद्ध होने व यह तनकी न 3 विरूद्ध वादी सिद्ध की जाती है। अतः वादी तनकी न. 3 को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः तनकी 1 व 2 वादी के विरूद्व सिद्ध हो जाने से यह तनकी विरूद्व वादी सिद्ध की जाती है।

4. आया मौके पर प्रतिवादी संख्या काबिज है एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा नहीं है तथा कब्जेयाबी की प्रार्थना के अभाव में घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

कि वादी की ओर से तनकी नम्बर 4 के खण्डन मे कोई भी दस्तवेजी पत्र प्रस्तुत नही किया गया। तथा वादी की ओर से मोखिक बयान कराये गये जिसमे गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री सोहनलाल लोहार उपस्थित हुआ, जिसने अपनी जिरह मे स्वीकार करता हैं कि मांगीलाल पिता भेरूलाल कौन से साल में खेती करता था, और कौन कौनसी फसलें उगाता मैं नहीं कह सकता। यह गवाह यह भी स्वीकार करता हैं कि किशना व हामा सामिल रहते थे किशना जीवित थे तब किशना हामा व कमला सामिल खेती करते थे, किशना के हामा घरमा व कमला 3 लडके हैं कमला किशना के मरने के बाद हामा खेती करता था। यह गवाह यह भी स्वीकार करता हैं कि गांव वाले भी मन्दिर का कोई हिसाव किताब नहीं रखते। वादी की ओर से मोखिक बयान कराये गये जिसमें गवाह पीडब्ल्यू 2 श्रीकिशन वल्द भेरूलाल धाबाई निवासी उदयपुर उपस्थित हुआ, जिसने अपनी जिरह मे स्वीकार करता हैं कि वादग्रस्त की जमीन कोन कमा रहा मैं नहीं जानता। वादी की ओर से मोखिक बयान कराये गये जियमें गवाह पीडब्ल्यू 3 श्री नगजीराम डॉगी निवासी नान्दवेल उपस्थित हुआ। जिसने अपनी जिरह मे स्वीकार करता है कि मन्दिर के आय व्यय का कोई हिसाब किताब नही रखता है। मांगीलाल ने कब कब किस किस को ठेके पर दी वही जाने, मोती ने किस किस साझे मे [illegible] किया मुझे पता नही। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

जमीन पर अभी फसल खडी हो तो मुझे पता नही। दिनांक 01.12.1954 से किशना वल्द जीवाजी डॉगी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज हैं और उनके बाद से हामा पिता किशना डांगी तमाम राजस्व अभिलेख मे खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। अतः प्रतिवादी संख्या एक ने अपना पक्ष व तनकी संख्या 4 को पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया हैं। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से गवाह डीडब्ल्यू 1 प्यारचन्द ने अपने बयान कलमबद्ध कराये हैं। प्रतिवादी की ओर से न्यायालय मे बापी पट्टा जो प्रदर्श डी–1, प्रमाणित निर्णय प्रति न्यायालय रिकार्ड आफिसर राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 15/1954 जो प्रदर्श डी–2, सत्यप्रति परचा खतोनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार डिविजन उदयपुर संवत 2009 जो प्रदर्श डी–3, सत्यप्रति प्रार्थना पत्र न्यायालय रिकार्ड ऑफिसर उदयपुर से पत्रावली से निर्णय की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श डी–4, सत्य प्रतिलिपी नकल जमाबन्दी प्रदर्श डी–5 एवं जमाबन्दी प्रदर्श डी–6 प्रदर्शित कराया तथा अपने पक्ष को साबित कराया हैं तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव साक्ष्य को वादी खण्डन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा हैं, अर्थात वादी अपने दावे को साबित नही करा पाये इसलिए वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे। वादी के लिखित बहस का खण्डन करते हुए लेख हैं कि कलम संख्या 1 मे वर्णित हाल आराजी नम्बर 1388, 1389 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

1390 व कुल किता 3 सही हैं लेकिन रकबा कवल 6 बीधा हैं जो संवत् 2010 से वर्तमान तक प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वज व स्वय प्रतिवादी खातेदार काश्तकार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य के रूप मे भेंट पत्र आदि को आप न्यायालय में प्रदर्श नही कराया जिसे यह साबित होता कि उक्त जमीन मन्दिर के नाम भेंट की।

मेवाड रियासत काल के दोरान गांव नान्दवेल श्रीकिशन वल्द भेरूलाल घाबाई उदयपुर की जागीरी मे आता था। तत्कालीन जागीरदार से प्रतिवादी के पूर्वजों ने संवत् 2004 मे अजरूह पट्टा हाजा आराजी मुन्दरजा जैल नजराना 1001 मदे बिल एवज 412 रूपये 14 आना नजराना मजूरी राजश्री महकमे खास (प. हे. ए. एज्यू. डी.) नं. 1256/21–12–47, राजश्री शिश्रहित कारणी सभा नं. 421/ 04–12–1947. सरकल ऑसि न. 491/ 03–12–1947 से बापी जो प्रतिवादी के पूर्वजों के पास पहले से वास्ते कास्त थी दी जाती हैं सो आबाद कर लगान बढाना ओर इस जमीन को कायदे माफिक सहन बै बक्षीस करने का हक जब तक लगान बराबर दाखिल होता रहे हांसिल होगा। जिसमे ढिकाणा से व मुनसर मात से कोई बेजा इस्तन्दाजी नही होगी। इस बापी पट्टे से कुल किता 10 कुल रकबा 19 बिधा 6 बिस्वा के साथ कुए पर रहट मे 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त बापी पट्टा [illegible] आना की कोर्ट फीस के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

इजपट्टा बही नं. 1 मिसल नं 1/2004 को वैशाख विद 13 संवत् 2004 का पंजीकृत किया गया। बापी पट्टा सत्स प्रति प्रदर्श डी–1 है। कलम सं. 2 का खण्डन करते हुए उसके जवाब मे संवत् 2009 की परचा खतोनी के अनुसार आराजी नम्बर 1053 श्रीकिशन वल्द भेरूलाल (धाबाई) जा. उदयपुर, श्री धर्मराज जी स्थान देह पालवाला व मोती वल्द मेधा डॉगी सा देह पुजारी दर्ज था। उक्त वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी 1 के खातेदारी में बतोर नजराना देकर तत्कालीन जागीरदार से बापी पट्टा प्राप्त किया। उस बापी पट्टे के आधार पर प्रतिवादी के पूर्वज ने सहायक राजस्व अधिकारी के यंहा उजरजाही पेश की जिसके अस्वीकार होने पर उसकी अपील राजस्व रिकार्ड अधिकारी, राजस्थान सरकार, उदयपुर के यहां प्रस्तुत की जिसकी मिसल सं. 15/1954 है। जिसकी बाद सुनवाई दिनांक 20.09.1954 को निर्णय दिया गया जिसके अनुसार श्री किशना वल्द जीवा डॉगी को खडमदार दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त आदेश की पालना दिनांक 1.12.1954 को परचा खतौनी में दाखिला लगाकर श्री किशना वल्द जीवा डॉगी को खडमदार खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया। जब राजस्थान टेनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया तब जागीरदार व माफीदार को राजस्व अभिलेख से विलोपित करके उनके समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित होने से अब लगान राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

सरकार मे जमा होने लग गया। उसी दौरान पुजारी का नाम भी विलोपित किया गया। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने से पहले व बाद में प्रतिवादी 1 के पूर्वज खातेदार कास्तकार थे। उनके बाद निरन्तर स्वयं प्रतिवादी 1 व उनके वारिसान काबीज खातेदार काश्तकार है। कलम सं. 4 के संदर्भ मे वादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बंध में आप न्यायालय से प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्ध राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 27.01.1987 को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश की अपील प्रतिवादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां प्रस्तुत की जिसको अपील सं. ओ 52/87 पर दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर श्री बइजलास श्री बलवन्त सिंह मेहता द्वारा अपील संख्या ओ. 52/987 हामा बनाम श्री धर्मराजजी देवरापालवाला के निर्णय के पेज नम्बर 3 के दूसरा पेराग्राफ मे स्पष्ट किया कि आराजी मुतवालिया धर्मराजजी महाराज के नाम दर्ज होकर अपीलान्ट हामा खडमदार व मोती पुजारी दर्ज हैं। वास्तविकता मे अपीलान्ट खातेदार कास्तकार दर्ज हैं, ओर धर्मराज महाराज देवरा माफीदार है। जैसा कि सेटलमेन्ट अधिकारी के सन 1954 के निर्णय से साफ हैं ओर उसके बाद हामा [illegible] साथ ही प्रतिवादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील खारीज यह कहकर की कि उक्त बिन्दू का निस्तारण मुल वाद के निस्तारण के साथ होगा। इस प्रकार वादी द्धारा प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से वाद लाया गया है। कलम सं. 5 के अर्न्तगत प्रतिवादी सं. 3 श्री मोती पिता मेधा डॉगी के तीन लडके थे, उनमे से एक वर्तमान मे जीवित है। साथ ही 8 बालीग पुरूष वारिसान होने के साथ किसी भी वारीसान ने प्रतिवादी 1 के विरूद्ध अनुतोष नही मांगा। जिसे साबित होता हैं कि यह वाद केवल मात्र प्रतिवादी को परेशान करने के लिए लाया गया है। कलम सं. 7 मे वादी ने तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था जबकि वादी की ओर कोई भी साक्ष्य दस्तावेज भेंट पत्र या लिखतम प्रदर्शित नही कराया। साथ ही पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 3 के ब्यान के दोरान जिरह मे स्वीकार किया कि इस प्रकार का कोई भी भेंट पत्र नहीं पेश किया। ओर न ही कोई भेंट पत्र या लिखापढी को प्रदर्श कराया। वादीगण के गवाह ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी 1 विवादित आराजियात का खडमदार खातेदार कास्तकार है। पीडब्ल्यू–1 गवाह ने स्वीकार किया कि श्रीकिशन वल्द भेरूलाल घाबाई गांव नान्दवेल के जागीरदार थे। उक्त भूमि पर कभी भी वादीगण पुजारी आदि का कब्जा नही रहा।

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के पहले सवत् 2004 (बापी नाडा)से निरन्तर [illegible] तक प्रतिवादी के पूर्वज एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में प्रतिवादी के वारिसान खातेदार काश्तकार हैं। इस संदर्भ मे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश कमांक रीडर/06/14/(वाद)/2015/1006 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार प्रतिवादीगण गिरदावरी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। तनकी 1 के अन्तर्गत वादी को उक्त भूमि को भेंट की गई यह साबित कराना हैं लेकिन वादीगण राजस्व मण्डल से धारा 212 प्रार्थना पत्र के निर्णय कि प्रति को प्रदर्शित कराई। प्रार्थना पत्र 212 केवल मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त जमीन की यथा स्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार की जन हानि नही होने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा होती हैं इस निर्णय से वादी के हक अधिकार का निर्धारण नही किया गया। इस प्रकार यह साबित नहीं होता कि उक्त भूमि भेंट की गई हैं। प्रदर्श 2 सेटलमेन्ट डिपाटमेन्ट संवत् 2003 की प्रमाणित प्रति हैं जिसमे श्रीकिशन वल्द भेरूलाल धाबाई जा. उदयपुर, श्रीधर्मराजजी स्थान देह (पालवाला) श्री मोती वल्द मेघा डॉगी सा देह पुजारी के नाम से अंकन हैं। वादी ने खुद बहस मे माना हैं कि दिनांक 01.12.1954 को श्री हिम्मतसिंह मेहता राजस्व अभिलेख अधिकारी, राजस्थान सरकार, उदयपुर के आदेश से श्री किशना वल्द जीवा डॉगी के नाम खडम होने का इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श 3 संवत 2009 का खसरा खतोनी का प्रमाणित प्रति हैं। [illegible] वल्द भेरूलाल धाबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshsirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

जा. उदयपुर, श्रीधर्मराजजी स्थान देह (पालवाला) श्री मोती वल्द मेघा डॉगी सा देह पुजारी के नाम से अंकन हैं। वादी द्वारा लिखित बहस के पेज 5 के पेरा 3 मे वादी पक्ष द्वारा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसे यह साबित होता कि उक्त जमीन श्रीकिशन धाबाई द्वारा श्री पालवाला बावजी को भेंट की गई हो। वादी केवल न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। ओर लिखित बह समे जिन राज सरकार के सर्कुलर 25/06/1964, 12/06/1969 व 15/03/1975 के बारे में लिखा हैं वो कभी पेश नही किये। वादग्रस्त जमीन श्री धर्मराजजी महाराज के नाम कभी भी खातेदारी दर्ज नही रही। तनकी नम्बर 2 को साबित कराने का भार वादी पक्ष का था। तनकी 2 को साबित कराने के लिए वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाह के बयान के आधार से साबित नही होता क्योकि वादग्रस्त जमीन 65 से 70 साल पहले तत्कालीन जागीरदार से उक्त वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी के पूर्वजों को दिया था। इसलिए केवल मोखिक बयान के आधार पर इस तनकी का निधार्रण नही किया जा सकता। वादी की ओर से कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिसे यह साबित होता कि प्रतिवादी ने गलत तरिके से राजस्व रिकार्ड में अपनी खडमदर्ज कराई। वादी के गवाह ने स्वीकार किया कि तत्कालीन सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से प्रतिवादी के [illegible] को खडमदार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

गया। जिसका हवाला वादी के लिखित बयान के पेज 5 के प्रथम पेरा के किया है। साथ ही लिखित बयान के पेज 6 के प्रथम पेरा मे यह स्वीकार किया हैं कि माननीय न्यायालय रेकार्ड ऑफिसर, राजस्थान सरकार, उदयपुर के निणर्य का हवाला दिया हैं उसी निणर्य से प्रतिवादी के पूवर्ज को खडमदार घोषित किया हैं। लिखित बहस मे दिये गये न्यायिक दृष्टान्त 2019 डीएनजे (रेवेन्यु)12 पेज 65 में A Division Bench of this Board in the instant matter has referred with some question. The matter may now be placed before the learned Division Bench for deciding the appeal on merits. उक्त प्रकारण मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त न ही तो निर्णित हैं और न ही इस प्रकरण पर लागू होता हैं इसमे किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नही किया केवल अपील के निर्धारण के लिए अपने directions दिये। तनकी नम्बर 3 को साबित करने कराने की जिम्मेदारी वादी पक्ष की थी लेकिन वादीगण ने इस तनकी को भी साबित कराने में भी कोई साक्ष्य पेश नही की जिसे यह कि उक्त जमीन श्री धर्मराजजी के नाम कर दी जाए। जबकि प्रतिवादी की ओर से राजस्थान सरकार की अधिसुचना की प्रति उपलब्ध करवाई गई हैं।

अधिसूचना राजस्थान सरकार प.3 (2)राज–6 /2007/14/जयपुर दिनांक 24.05.2007, प.3(2) राज–6 /2007/19/जयपुर दि… 11.2011 और प.3(2)राज–6/

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2007/पार्ट/5/जयपुर दिनांक 12.09.2018. तनकी नम्बर 4 को साबित करने कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष की थी जो प्रदर्श 1 (बापी पट्टा) से साबित होकर निरन्तर चला आ रहा हैं जिसकी पुष्टी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश क्रमाक रीडर/06/14/(वाद) /2015/1006 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार प्रतिवादीगण गिरदावरी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं।

वादी द्वारा उक्त तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित कराने हेतु निवेदन किया कि उक्त तनकी प्रमाणित कराने बाबत् प्रतिवादी ने वादी के तीन मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से लगायत प्रदर्श आठ के मुकाबले माय प्रतिवादी ही प्रस्तुत होकर न्यायालय में परीक्षित हुआ है व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित एक और दो दस्तावेज पेश किए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मान्य सिद्वान्त के अनुसार पक्षकार स्वयं व उसके दो स्वतंत्र गवाह से किसी भी तथ्य का खडंन नहीं करता है तब तक न्यायालय में विपरीत पक्ष वादी की साक्ष्य अखंडित रहती हैं। हस्तगत मामले में प्रतिवादी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य स्वतंत्र साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है नहीं परीक्षित ही कराई है जिससे प्रतिवादी के मुकाबले वादी की साक्ष्य अखंडित व प्रमाणित रही है जिसको नहीं मानने का विधि अनुसार कोई [illegible] है जिससे वादी पक्ष की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रहने से प्रतिवादी अपने जिम्मे उक्त तनकी साबित कराने में कासिर रहा है प्रतिवादी के कथन का जो हितबद्व है उसके कथने विधि अनुसार विश्वसनीय नहीं रहते है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशिल हुआ उसके पहले से ही कब्जा पूर्णतः प्रमाणित हो वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वादी पक्ष के कथन की पूर्ण पुष्टि करते है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि अनुसार हो माननीय न्यायालय में पोषणीय रहा हैं।

प्रतिवादी द्वारा अपने दस्तावेज व बयानों में यह साबित कराया है कि मौके पर प्रतिवादी ही कृषि करता आ रहा है। अतः तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

17. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी के नाम पर दर्ज होकर प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकार्ड की यह स्थिति स्पष्ट है कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति धर्मराज जी माफी की थी एवं प्रतिवादी 1 के पूर्वज राजस्थान भू राजस्व सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पहले सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अधिकारी के आदेश से खडमदार खातेदार थे। अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन से वादी अपने वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

: : **आदेश** : :

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

श्री धर्मराज जी महाराज (देवरापाल वाला) स्थान श्री नान्दवेल तह. मावली के प्रतिनिधी एवं प्रबन्धक समस्त ग्राम वासियान नान्दवेल के प्रतिनिधी सर्व श्री

1. श्री रूपलाल पिता कना डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता भेरूलाल डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. श्री सोहनलाल पिता भंवरलाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
4. श्री मांगीलाल पिता हीरालाल सुथार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
5. श्री कसुडा पिता केरा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री हामा पिता कसना डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली। **मृतक**

1/1 श्रीमती नोजीबाई बेवा हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/2 श्रीमती प्यारेलाल पिता हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/3 श्रीमती भूरीबाई पुत्री हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/4 श्रीमती तुलसीबाई पुत्री हामा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

2. श्री फतेहलाल पिता देवा डांगी निवासी धाबाई का कुआ तह. गिर्वा। **मृतक**

2/1 श्रीमती पन्नाबाई बेवा फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/2 श्री रामलाल पिता फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/3 श्री धनराज पिता फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. गिर्वा।

2/4 श्रीमती भंवरीबाई पुत्री फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested

2/5 श्रीमती नारीबाई पुत्री फतहलाल डांगी निवासी उदयपुर तह. मावली।

3. श्री मोती पिता मेगा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 06/14 (वाद) (GCMS–2014/00518)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.11.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.13 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested